



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270877  
CG-DL-E-12032026-270877

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1223]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 1223]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

**का.आ. 1280(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के अरवल्ली जिले में NH-168G के कि.मी. 104.400 से कि.मी.129.775 तक के भू-खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एसडीएम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

## अनुसूची

गुजरात राज्य के अरवल्ली जिले में NH-168G के कि.मी. 104.400 से कि.मी.129.775 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अरवल्ली		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: भिलोडा					
गांव का नाम: भिलोदा (सीटी)					
1	744/NA P-1 PLOT NO 14	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
2	744/NA P-1 PLOT NO 15	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
3	744/NA P-1 PLOT NO 16	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
4	744/NA P-1 PLOT NO 17	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
5	744/NA P-1 PLOT NO 18	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
6	744/NA P-1 PLOT NO 19	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
7	744/NA P-1 PLOT NO 20	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
8	744/NA P-1 PLOT NO 21	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
9	744/NA P-1 PLOT NO 22	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
10	744/NA P-1 PLOT NO 47	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0052 (हेक्टेयर)	0.0052
11	744/NA P-1 PLOT NO 48	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
12	744/NA P-1 PLOT NO 49	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
13	744/NA P-1 PLOT NO 50	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0075 (हेक्टेयर)	0.0075
14	744/NA P-1 PLOT NO 51	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.0076 (हेक्टेयर)	0.0076
15	744/NA P-1 PLOT NO ROAD MARGIN	निजी	नाँन एग्रीकल्चर	0.2298 (हेक्टेयर)	0.2298

16	744/NA/P1-PLOT NUM-13	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.0068 (हेक्टेयर )	0.0068
17	964	निजी	एग्रीकल्चर	0.9071 (हेक्टेयर )	0.9071
18	997	निजी	एग्रीकल्चर	0.0735 (हेक्टेयर )	0.0735
<b>Total</b>					<b>1.3128</b>

[फा. सं. GJ/P/V/14/09/2022/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2026

**S.O. 1280(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for Construction maintenance, management and operation of NH-168G in the stretch of land from Km. 104.400 to Km. 129.775 in the district of ARVALLI in the state of GUJARAT, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDM in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority

**SCHEDULE**

**Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-168G in the stretch of land from Km. 104.400 to Km. 129.775 in the district of ARVALLI in the state of GUJARAT**

State: GUJARAT			District: ARVALLI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Bhiloda</b>					
<b>Village: Bhiloda (CT)</b>					
1	744/NA P-1 PLOT NO 14	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
2	744/NA P-1 PLOT NO 15	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
3	744/NA P-1 PLOT NO 16	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
4	744/NA P-1 PLOT NO 17	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
5	744/NA P-1 PLOT NO 18	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
6	744/NA P-1 PLOT NO 19	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075

7	744/NA P-1 PLOT NO 20	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
8	744/NA P-1 PLOT NO 21	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
9	744/NA P-1 PLOT NO 22	Private	Non Agriculture	0.0003 (Hectare )	0.0003
10	744/NA P-1 PLOT NO 47	Private	Non Agriculture	0.0052 (Hectare )	0.0052
11	744/NA P-1 PLOT NO 48	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
12	744/NA P-1 PLOT NO 49	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
13	744/NA P-1 PLOT NO 50	Private	Non Agriculture	0.0075 (Hectare )	0.0075
14	744/NA P-1 PLOT NO 51	Private	Non Agriculture	0.0076 (Hectare )	0.0076
15	744/NA P-1 PLOT NO ROAD MARGIN	Private	Non Agriculture	0.2298 (Hectare )	0.2298
16	744/NA/P1-PLOT NUM-13	Private	Non Agriculture	0.0068 (Hectare )	0.0068
17	964	Private	Agriculture	0.9071 (Hectare )	0.9071
18	997	Private	Agriculture	0.0735 (Hectare )	0.0735
<b>Total</b>					<b>1.3128</b>

[F. No. GJ/P/V/14/09/2022/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director